सामूहिक विनाश के हथियार और उनकी आपूर्ति प्रणाली (गैरकानूनी गतिविधियाँ निषेध) संशोधन विधेयक-2022

प्रिलिम्स के लिये:

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, वित्तीय कार्रवाई टास्क फोर्स, 1968 की परमाणु अप्रसार संधि, 1972 का जैविक हथियार कन्वेंशन, 1993 का रासायनिक हथियार कन्वेंशन

मेन्स के लिये:

सामूहिक विनाश के हथियार और उनकी आपूर्ति प्रणाली (गैरकानूनी गतिविधियाँ निषेध) संशोधन विधेयक-2022

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत सरकार ने लोकसभा में सामूहिक विनाश के हथियार और उनकी आपूर्ति प्रणाली (गैरकानूनी गतिविधियाँ निषेध) संशोधन विधेयक-2022 पेश किया है।

- विधेयक में सामूहिक विनाश के हथियारों (WMD) से संबंधित किसी भी गतिविधि के वित्तपोषण पर रोक लगाने और ऐसी गतिविधियों के वित्तपोषकों के विरुद्ध कार्रवाई करने का अधिकार देने की परिकल्पना की गई है।

विधेयक से संबंधित प्रमुख प्रावधान:

- **पृष्ठभूमि:** इस विधेयक का उद्देश्य सामूहिक विनाश के हथियार एवं उनकी आपूर्ति प्रणाली (गैरकानूनी गतिविधियाँ निषेध) अधिनियम-2005 को संशोधित करना है।
- **मूल अधिनियम:** वर्ष 2005 का अधिनियम सामूहिक विनाश के हथियारों और उनकी वितरण प्रणालियों के संबंध में गैरकानूनी गतिविधियों को प्रतिबंधित करने के लिये अधिनियमित किया गया था।
  - इस अधिनियम में जैविक, रासायनिक और परमाणु हथियारों तथा उनकी वितरण प्रणालियों से संबंधित गैरकानूनी गतिविधियों को शामिल किया गया है।
  - यह सामूहिक विनाश के हथियारों और उनकी वितरण प्रणालियों के संबंध में सामग्री, उपकरण और प्रौद्योगिकियों के निर्यात पर नियंत्रण लगाने और गैर-राज्य अभिकर्त्ताओं या आतंकवादियों को उनके हस्तांतरण की रोकथाम हेतु एकीकृत कानूनी उपायों का भी प्रावधान करता है।
- **संशोधन की आवश्यकता:** सामूहिक विनाश के हथियारों से संबंधित मौजूदा अधिनियम ऐसी वितरण प्रणालियों के वित्तीय पहलू को कवर नहीं करता है, ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को पूरा करने के लिये नए प्रावधान आवश्यक हैं।
  - संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लक्षित वित्तीय प्रतिबंधों और वित्तीय कार्रवाई टास्क फोर्स की सिफारिशों को सामूहिक विनाश के हथियारों तथा उनकी वितरण प्रणालियों के प्रसार के वित्तपोषण के खिलाफ अनिवार्य कर दिया गया है।
- **विधेयक का उद्देश्य:** विधेयक का उद्देश्य तीन लक्ष्यों को प्राप्त करना है:
  - सामूहिक विनाश के हथियारों से संबद्ध गतिविधियों के वित्तपोषण को प्रतिबंधित करना।
  - इस तरह के वित्तपोषण को रोकने के लिये केंद्र को धन, वित्तीय संपत्ति या आर्थिक संसाधनों को फ्रीज करने, ज़ब्त करने या संलग्न करने का अधिकार देना।
  - सामूहिक विनाश के हथियारों और उनकी वितरण प्रणालियों के संबंध में किसी भी निषिद्ध गतिविधि के लिये धन, वित्तीय संपत्ति या आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराने पर रोक लगाना।

सामूहिक विनाश के हथियार (WMD):

- WMD के तहत ऐसे हथियार शामिल हैं जिनमें बड़े पैमाने पर मौत और विनाश करने की क्षमता होती है तथा एक शत्रु शक्ति के हाथों में इनकी उपस्थिति को एक गंभीर खतरा माना जा सकता है।

- सामूहकि वनिाश के आधुनकि हथयिारों में **परमाणु, जैवकि, रासायनकि हथयिार शामलि होते है जनिहें एनबीसी हथयिार (NBC Weapons)** कहा जाता है।
- सामूहकि वनिाश के **हथयिार शब्द वर्ष 1937** से चलन में है, जब इसका इस्तेमाल बमवर्षक वमिानों के बड़े पैमाने पर संरचनाओं का वर्णन करने के लयि कयिा जाता था।
    - उदाहरण के लयि **जापान में हरिोशमिा और नागासाकी** हमले में इस्तेमाल कयि गए परमाणु बम।
- WMD के प्रसार को नयिंत्रति करने के प्रयास अंतर्राष्ट्रीय समझौतों में नहिति हैं, जैसे:
    - **1968 की परमाणु अप्रसार संधि**
    - **वर्ष 1972 का जैवकि हथयिार सम्मेलन**
    - **वर्ष 1993 का रासायनकि हथयिार सम्मेलन**
- भारत ने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं कयि हैं, लेकनि जैवकि हथयिार सम्मेलन और रासायनकि हथयिार सम्मेलन दोनों का हस्ताक्षरकर्त्ता है।

वगित वर्षों के प्रश्न:

प्रश्न. हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरकिा ने 'ऑस्ट्रेलयिा समूह' तथा 'वासेनार व्यवस्था' के नाम से ज्ञात बहुपक्षीय नरि्यात नयिंत्रण व्यवस्थाओं में भारत को सदस्य बनाए जाने का समर्थन करने का नरि्णय लयि है। इन दोनों व्यवस्थाओं के बीच क्या अंतर है? (2011)

1. 'ऑस्ट्रेलयिा समूह' एक अनौपचारकि व्यवस्था है जसिका लक्ष्य नरि्यातक देशों द्वारा रासायनकि तथा जैवकि हथयिारों के प्रगुणन में सहायक होने के जोखमि को न्यूनीकृत करना है, जबकि 'वासेनार व्यवस्था' OECD के अंतर्गत गठति औपचारकि समूह है जसिके समान लक्ष्य हैं।
2. 'ऑस्ट्रेलयिा समूह' के सहभागी मुख्यतः एशयिाई, अफ्रीकी और उत्तरी अमेरकिा के देश हैं, जबकि 'वासेनार व्यवस्था' के सहभागी मुख्यतः यूरोपीय संघ और अमेरकिी महाद्वीप के देश हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (d)

व्याख्या:

- **ऑस्ट्रेलयिा समूह** एक बहुपक्षीय नरि्यात नयिंत्रण व्यवस्था और देशों का एक अनौपचारकि समूह है (अब यूरोपीय आयोग में शामलि हो गया)। इसे वर्ष 1985 में (1984 में इराक द्वारा रासायनकि हथयिारों के उपयोग के बाद) सदस्य देशों को उन नरि्यातों की पहचान करने, जनिहें नयिंत्रति करने की आवश्यकता है, में मदद के लयि स्थापति कयिा गया था ताकि रासायनकि एवं जैवकि हथयिारों का प्रसार न हो सके।
- औपचारकि रूप से जुलाई 1996 में स्थापति वासेनार अरेंजमेंट, पारंपरकि हथयिारों के लयि एक स्वैच्छकि नरि्यात नयिंत्रण व्यवस्था है तथा दोहरे उपयोग वाले सामान और प्रौद्योगकिी एक बहुपक्षीय नरि्यात नयिंत्रण व्यवस्था है।
    - वासेनार अरेंजमेंट 42 देशों का समूह है, जसिमें शामलि होने वाला भारत सबसे नवीनतम देश है।

प्रश्न: 'रासायनकि हथयिार नषिेध संगठन (OPCW)' के संदर्भ में नम्निलखिति कथनों पर वचिार कीजयि: (2016)

1. यह नाटो और डब्ल्यूएचओ के साथ कार्य करने के संबंध में यूरोपीय संघ का एक संगठन है।
2. यह नए हथयिारों के उपयोग को रोकने हेतु रासायनकि उद्योगों की नगिरानी करता है।
3. यह रासायनकि हथयिारों के खतरों के खलिाफ राज्यों (पार्टयिों) को सहायता और सुरक्षा प्रदान करता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

उत्तर: (b)

व्याख्या:

- 29 अप्रैल, 1997 को रासायनकि हथयिार कन्वेंशन (CWC) के लागू होने से रासायनकि हथयिार नषिेध संगठन (OPCW) के नेतृत्व में

अंतर्राष्ट्रीय रासायनकि हथियार नरिस्त्रीकरण व्यवस्था की स्थापना हुई।
- इसका मुख्यालय हेग, नीदरलैंड में है।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/weapons-of-mass-destruction-and-their-delivery-systems-prohibition-of-unlawful-activities-amendment-bill-2022